भारत सरकार
रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड

सं. 88-सेक (ई)आर सी-3/6 नई दिल्ली, दि 17-7-96

स्थायी आदेश सं. 12

मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आर पी एफ, सब क्षेत्रीय रेलें

स्थायी आदेश सं. 3/1996 देखें जिसमें मैंने भर्ती चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता की जरुरत पर पहले ही बल दिया है :

2. मैं यह आदेश केवल इसलिए जारी कर रहा हूं क्योंकि कई बार लोग भर्ती अधिकारियों के पास पहुंचेंगे और निदेशालय के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का नाम लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति से शलीनता का व्यवहार किया जाए लेकिन किसी प्रकार की छूट देने या किसी सिफारिश को मानने का प्रश्न ही नहीं उठता सिवाय इसके कि योग्यता से आने वाले पूर्णत: उपयुक्त उम्मीदवारों का ही चयन किया जाए। मुझे यह भी बताया गया है कि कई लोग वरिष्ठ अधिकारियों का नाम लेकर बल में लोगों को भर्ती कराने के लिए दलालों के रुप में काम करते हैं। यह बिलकुल संभव है कि 20-25 वर्ष की लंबी सेवा में कई लोग रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों को जानते है और उनके नामों का उल्लेख करते है।

3. यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे सब मामलों में जहां उम्मीदवारों का चयन कराने के लिए नामों का उल्लेख किया गया है तो जिस अधिकारी के नाम का उल्लेख किया गया है उसे भर्ती अधिकारी द्वारा एक व्यक्तिगत अर्द्ध सरकारी पत्र के माध्यम से बताया जाए कि अमुक व्यक्ति आया और उसने बताया कि वह आपको जानता है या वह आपका संबंधी है या एक विशेष उम्मीदवार की भर्ती के लिए उसने आपके नाम का उल्लेख किया ताकि सब वरिष्ठ अधिकारी आवश्यक सावधानी बरत सकें। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे सब व्यक्तियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और इस बात को कोई महत्व न दिया जाए कि कोई व्यक्ति रिश्तेदारी या मित्रता का दावा करता है या संगठन में किसी विशेष अधिकारी को जानता है चाहे कुछ भी हो दलालों को आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उम्मीदवारों को छोड़ किसी भी व्यक्ति को परेड ग्राउंड कैम्पस में जहां भर्ती प्रक्रिया चल रही है आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही भद्रता और शिष्टता को भुला नहीं देना चाहिए। उन्हें दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को, जो भर्ती से संबंधित नहीं हैं, कैम्पस में न आने दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि भर्ती केन्द्र में केवल उम्मीदवार आ सकते है न कि उनके रिश्तेदार आदि।

4. भर्ती के लिए इस कार्यालय में जो प्रार्थनाएं प्राप्त हों उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित सी एस सी को भेज दिया जाए। माननीय संसद सदस्यों की वी आई पी प्रार्थनाओं को भर्ती समितियों को भेजा जाएगा तथापि, यह सुनिश्चित किया जाए कि भर्ती केवल योग्यता के आधार पर की जाती है, सिफारिश के आधार पर नहीं।

5. मैं इस बात को दोहराता हूं कि रेल सुरक्षा बल कर्मचारियों के संबंधियों को कैम्पस में ठहरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भर्ती अधिकारियों द्वारा यादृच्छिक जांच करके देखा जाना चाहिए कि कैम्पस में केवल उम्मीदवार आयें जिन्हें भर्ती होना है और किसी संबंधी या किसी दलाल को कैम्पस में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जोगिन्दर सिंह
महानिदेशक/रे.सु.ब.

प्रतिलिपि सब डी सी एस को
सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए